

14 मई 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (GS PAPER II: अर्ध न्यायिक निकाय)
2. बदलते समय में भारत-नेपाल संबंधों को स्थिर बनाना (14 मई) (GS PAPER II: भारत-नेपाल संबंध)
3. मध्यस्थता के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना (14 मई) (GS PAPER II: कानूनी प्रणाली)
4. गरीबी अनुपात में गिरावट: एक सतत प्रवृत्ति (14 मई) (GS PAPER II: गरीबी, भूख)
5. स्मार्ट सिटीज मिशन का अवलोकन (14 मई) (GS PAPER I: शहरीकरण)
6. लिव-इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति क्या है? (14 मई) (GS PAPER I: समाज, GS PAPER II: संवैधानिक नैतिकता)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (GS PAPER II: अर्ध न्यायिक निकाय)

- एनएचआरसी में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं, ये सभी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए तथा सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति होने चाहिए।
- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा, आयोग में चार पदेन सदस्य भी हैं, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं।
- बहु-सदस्यता का उद्देश्य आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करना है।
- अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। अपने कार्यकाल के बाद, अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के तहत आगे की नौकरी के लिए पात्र नहीं होते हैं।

Stabilising India-Nepal ties in changing times

In Nepal, there is a palpable sense of restlessness, dissatisfaction and uncertainty in the air these days because of the overall political and economic environment. While the transition to a full-fledged democracy underpinned by credible political institutions seems to be an unending one, there is also confusion about the direction in which it is headed.

And, there are a lot of questions. Was it premature for Nepal to have decided through a Constitution (which was rushed through and barely debated) that it should be transformed instantaneously into a secular federal democratic republic? This when as a young democracy it had just battled one upheaval after another, and was in dire need of leaders, experience and institutions capable of handling daunting challenges? Should Nepal, which had a wonderful tradition of being deeply religious but with a secular and tolerant ethos, revert to its Hindu identity which it had lost when political parties were negotiating with the Maoists for an end to their 10-year insurgency? Should the monarchy be restored for want of institutions which could make sure that red lines were respected in the interests of safeguarding democracy? Was a genuine federal setup not an invitation for Nepal's disunity? How can Nepal survive in the post-COVID-19 world when corruption and misgovernance are so rampant?

The new government in New Delhi in June will have its hands full handling its foreign policy priorities. One of them will continue to be China. And for that reason alone, a high level of attention being paid to Nepal is certain, especially in view of recent developments there and the high probability that political certainty will continue there in the months ahead.

Changes under China's shadow

One reason for attention is the recent dramatic change in the coalition partners of the incumbent Prime Minister, Maoist leader Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda', which saw the largest party in Parliament, the centrist Nepali Congress (NC), being replaced by the second largest party led by K.P. Sharma Oli, who when Prime Minister in the past, had gained the reputation of being pro-China and anti-India.

The Chinese were the first to officially welcome the renewed alliance between the two major left parties, which they have been urging for long, sometimes publicly, and clumsily.

This time around they managed to avoid public controversy and allow the revival of the partnership to look as if it was a purely internal matter. Yet, they would have relished the readiness of the new left government to ignore Indian sensitivities. Nepal's Foreign Minister departed from convention by making his first



K.V. Rajan

is India's former Ambassador to Nepal. He is the author of a recently published book, 'Kathmandu Chronicle: Reclaiming India-Nepal Relations'



Atul K. Thakur

is a policy professional, columnist and writer with a special focus on South Asia. He is the co-author of a recently published book, 'Kathmandu Chronicle: Reclaiming India-Nepal Relations'

The new government in India in June this year could consider offering Nepal a new and holistic development road map which would excite public imagination and enable cross-party political consensus

official foreign visit to Beijing rather than New Delhi, and, despite domestic warnings of falling into a Sri Lanka-like debt trap, agreed to revive cooperation on China's Belt and Road Initiative (BRI).

There have also been high-level military visits where new understandings have reportedly been reached. China's intentions are very clear: to expand its influence in Nepal at the cost of India's. Interestingly, the revival of the far left is being accompanied by a strong clamour from forces on the far right, which include calls for the restoration of the institution of monarchy and Nepal's Hindu identity.

Nepal, which was once the world's only Hindu kingdom, was converted by its Parliament into a secular federal republic shortly after the Maoist insurgency ended and the Maoists agreed to be mainstreamed into the country's democratic polity a few years ago.

Both sets of forces have the reputation of being ultra-nationalistic, pro-China and anti-India. Even otherwise, continuing political instability and malgovernance could invite a proliferation of India-directed mischief from Nepal by third countries and their non-official partners – the 'nexus' of smuggling and terrorism in Pakistan that India's External Affairs Minister S. Jaishankar recently described as an 'industry'.

During the last phase of the King Birendra years, political instability accompanied by frequent changes of government (a result of political opportunism), facilitated the spread of a Maoist insurgency within Nepal which later established its headquarters in a jungle hideout in India. In parallel, there was an escalation of the smuggling of drugs, arms and terrorist-related cross-border activities masterminded from Pakistan against India, from Nepalese soil. The latter culminated in the hijacking of flight IC 814 in December 1999.

The redeeming feature then was a stable relationship between India and Nepal under Nepal's 'twin pillar' policy of supporting the king and multi-party democracy, which resulted in India's discreet cooperation and good relations across the political spectrum. It also saw Indian and Nepalese intelligence agencies working to expose Pakistani involvement.

Eventually, the situation quickly developed into a multi-faceted crisis, causing upheavals and transformations in Nepal and new questions about the quality of its bilateral ties with India.

Unlike in the past, China is now proactively working against India in Nepal. No longer does it have a low profile. It would probably be openly supportive of any cross-border instigation of terrorist activities in India – which, for China, would come under the category of "good terrorism". It suits Pakistan to do its bit too as it knows that it can rely on China for support when

needed. Theoretically, India is not alone. It has the Quad (Australia, India, Japan, the United States), Indo-Pacific and other groupings keeping a close watch on China's moves to expand its influence through fair means and foul. However, it would be risky to assume that these would be of help if a Great Game 2.0 begins in a shaky Nepal.

India's stand

India has been playing its cards reasonably well, keeping a low profile and avoiding controversy by staying out of Nepal's internal affairs. However, pressure from some Nepali quarters to give "advice", or the temptation by some in India to give it in at least two important matters can be anticipated. Should Nepal revert to its old identity as a Hindu nation? And, should the calls for restoration of monarchy be encouraged given rising frustration with a democracy without strong institutional underpinnings?

India (whether at the level of central, State or civil society) will have to give careful answers. In Nepal, opinions are often over-interpreted and confusion caused as a result of 'mixed signals' from India. It is for the Nepalese to decide on such issues. India could consider offering a new and holistic development road map which would excite public imagination and attract cross-party political consensus.

For example, there could be a transformative, sustainable development agenda aimed at improving the quality of life of its people. Innovative approaches in sectors such as health, education, food and nutrition, child development, gender and jobs, will ensure that the BRI and other Chinese pet projects are not a priority.

High-level Indian attention could inject a sense of optimism, stimulate investment in key sectors, and promote cross-party consensus on major projects. This will ensure that there is continuity and time-bound results even in the midst of instability, foster new inter-linkages between industries in both countries, address the demographic dividend, respond to the yearning in Nepal for a sense of equality and sovereign space, and build on the foundation of common civilisational assets which make the India-Nepal relationship so unique. India should also never forget that for the big brother-small brother syndrome to be overcome, the onus lies on the big brother – the style of diplomacy matters as much as the substance in relations between the two countries.

With regard to Nepal, the many concerns complicating the India-Nepal relationship need not be an insoluble migraine. The new government in New Delhi in June this year has its work cut out.

The views expressed are personal

बदलते समय में भारत-नेपाल संबंधों को स्थिर बनाना (14 मई) (GS PAPER II: भारत-नेपाल संबंध)

इस वर्ष जून में भारत की नई सरकार नेपाल को एक नया और समग्र विकास रोडमैप देने पर विचार कर सकती है, जो जनता की कल्पना को उत्साहित करेगा और सभी दलों के बीच राजनीतिक सहमति को संभव बनाएगा।

- नेपाल राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के कारण अशांत महसूस कर रहा है।
- लोकतंत्र में परिवर्तन तीव्र गति से हुआ, जिससे अनिश्चितता बनी रही।
- कुछ लोग नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाने की जल्दबाजी पर सवाल उठा रहे हैं।
- स्थिरता के लिए राजशाही को वापस लाने पर बहस।
- चिंता है कि संघीय व्यवस्था नेपाल को विभाजित कर सकती है।
- भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन COVID-19 से उबरने में बाधा डाल रहे हैं।
- भारत अपनी विदेश नीति संबंधी चिंताओं, विशेषकर चीन के संबंध में, के कारण नेपाल पर कड़ी नजर रखेगा।

चीन की छाया में परिवर्तन

- नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने नेपाली कांग्रेस को हटाकर केपी शर्मा ओली के साथ नया गठबंधन बनाया।

- चीन ने अपने प्रभाव का संकेत देते हुए इस गठबंधन का खुले तौर पर स्वागत किया।
- नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत से दूर रुख दिखाते हुए सबसे पहले बीजिंग का दौरा किया।
- नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ सहयोग को पुनर्जीवित करने पर सहमत हुआ।
- उच्च-स्तरीय सैन्य दौरे चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों का सुझाव देते हैं।
- नेपाल में अतिराष्ट्रवादी, चीन समर्थक और भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं।
- नेपाल में पिछली अस्थिरता के कारण माओवादी विद्रोह और सीमा पार आतंकवाद पैदा हुआ।
- भारत के पहले नेपाल के राजनीतिक दायरे में अच्छे संबंध थे।
- चीन अब नेपाल में भारत के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
- चीन, पाकिस्तान की भागीदारी के साथ, भारत के विरुद्ध सीमापार आतंकवाद का समर्थन कर सकता है।
- भारत को कांड जैसे समूहों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन नेपाल की अस्थिरता जोखिम पैदा करती है।

भारत का रुख

- भारत ने नेपाल के आंतरिक मामलों में अपनी सक्रियता कम रखी है, लेकिन उसे सलाह देने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
- हिंदू पहचान को वापस अपनाने या राजशाही को बहाल करने जैसे निर्णय नेपाल को लेने हैं।
- भारत नेपाली आम सहमति और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विकास का रोडमैप प्रस्तुत कर सकता है।
- उच्च स्तरीय भारतीय ध्यान से आशावाद आ सकता है, निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, तथा अंतर-पक्षीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- साझा सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर भारत-नेपाल संबंध मजबूत हो सकते हैं।
- भारत को "बड़े भाई-छोटे भाई" के रिश्ते को सावधानीपूर्वक संभालना होगा।
- कूटनीतिक कुशलता और विकास सहयोग से भारत-नेपाल संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है।

मध्यस्थता के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना (14 मई) (GS PAPER II: कानूनी प्रणाली)

PatrioticIAS

Adopting a transformative vision for mediation

In an era dominated by judicial backlog and prolonged litigation, the emphatic directive from the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, in April 2024, to “mediate, not litigate”, echoes with increasing urgency. The Mediation Act, 2023, notified on September 15, 2023, promises a transformative shift towards alternative dispute resolution. This legislation not only formalises mediation but also provides a comprehensive definition that includes pre-litigation and court-annexed mediation, online platforms, and community mediation among its forms, all aimed at facilitating amicable settlements through the intervention of a neutral mediator.

The reflections of the former Supreme Court of India judge, Justice S.K. Kaul, further illuminate the nuanced role of mediation. Speaking at a recent event, he recognised the evolution of mediation from a concept met with scepticism to one that is now warmly embraced by the legal community. Justice Kaul underscored that mediation should not be seen as a replacement for established legal procedures such as the Insolvency and Bankruptcy Code (“IBC”), but rather as a synergistic approach.

Echoing the ethos of Mahatma Gandhi, who saw the true role of a lawyer not in litigation but in uniting parties in dispute, mediation reorients the focus from adversarial confrontation to reconciling differences and healing relationships. As peacemakers, mediators foster a democratic space for open dialogue, allowing individuals to express their emotions and grievances freely, thereby paving the way for mutual understanding and the restoration of balance.

This narrative not only showcases the expanding scope of mediation but also emphasises its critical role in streamlining both legal and economic dispute resolutions. It underscores our collective need to integrate mediation more deeply into our dispute resolution framework and, more importantly, cultivate a new generation of mediators.

Barriers to skill development

To ensure the effectiveness of mediation, it is



Vaibhavi Khuthia

is an advocate based in Mumbai. She also leads the mediation wing at Presolv360, an online dispute resolution platform

There is a need to integrate mediation more deeply into India's dispute resolution framework and also foster a new generation of mediators

critical to recognise certain flaws which may hinder the successful on-ground implementation of the Mediation Act, 2023. While the legislation sets a strong foundation, the true efficacy of mediation relies equally on practical on-ground implementation and further improvements in the legislation.

Under current guidelines, aspiring mediators are required to have 15 years of professional experience in their field before they qualify to practise as mediators. This experience equips mediators with a deep understanding of the nuanced dynamics necessary to effectively guide disputing parties toward resolution.

However, the path from initial basic mediation understanding in law school to becoming a practising mediator involves significant challenges. Law students are typically and specifically trained to advocate strongly from their client's perspective, a necessary skill in litigation but one that contrasts sharply with the mediator's role, which emphasises neutrality, impartiality, and an unbiased commitment to the mediation process rather than to a specific outcome.

This bifurcated approach – where one must unlearn mediation to practise advocacy and then, years later, unlearn advocacy to return to mediation – underscores a deeper disconnect in our legal education and practice. It suggests a need for continuous, integrated learning that allows legal professionals to wear multiple hats, switching from advocate to mediator with fluidity rather than viewing these roles as mutually exclusive stages of their career. Such an integrated approach would not only maintain the mediator's skill set throughout their career but also enhance their overall effectiveness by combining deep legal knowledge with core mediation competencies.

Fostering the next generation of mediators

To elevate the effectiveness of mediation, it is essential to recognise the distinct skill sets required beyond traditional legal expertise. Innovative training methods such as co-mediation and shadow mediation should be incorporated

under the Mediation Act 2023 for young lawyers. Co-mediation pairs novice mediators with experienced counterparts in actual mediation sessions, facilitating a dynamic learning environment where skills can be actively observed and practised. Concurrently, shadow mediation offers novices a chance to observe these sessions without direct involvement, providing them with insights into the subtleties of the mediation process and various conflict resolution strategies. By merging direct participation and observational learning, these training methods equip emerging mediators with a deeper understanding and practical experience, crucial for handling complex disputes effectively and confidently. This dual approach ensures a comprehensive learning experience, paving the way for well-rounded professional development in the field of mediation.

Such practical exposure will ensure that emerging mediators develop the nuanced skills and the confidence necessary for mediating complex disputes effectively.

Additionally, embedding a structured mediation training module within the law school curriculum is vital. Introducing law students early to mediation training can ignite their interest and equip them with critical skills for resolving disputes empathetically and efficiently, setting the stage for a new generation of adept mediators.

Adoption of these strategic enhancements will not only tweak existing frameworks but also spearhead a significant evolution in the legal landscape.

These changes shall promise to transform the Mediation Act, 2023, from statute to a dynamic catalyst for growth and innovation in dispute resolution across India.

By empowering the next generation of mediators with the tools to succeed, we will be setting the stage for a more harmonious, efficient, and just society. Let us seize this opportunity to foster a robust culture of mediation, ensuring that every mediator not only learns the craft but also masters the art of peace making.

- जिला अदालतें: 4.5 करोड़ से अधिक, अधिकांश लंबित मामलों को रखती हैं।
- उच्च न्यायालयों में 61.7 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
- सुप्रीम कोर्ट: निचली अदालतों की तुलना में कम संख्या में, फिर भी 80,000 से अधिक मामले लंबित हैं
- भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने अप्रैल 2024 में लोगों से मुकदमेबाजी के बजाय मध्यस्थता को चुनने का आग्रह किया।
- वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 2023 15 सितंबर, 2023 को अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम मध्यस्थता के विभिन्न रूपों को शामिल करता है, जिसमें मुकदमेबाजी-पूर्व, न्यायालय-संलग्न, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सामुदायिक मध्यस्थता शामिल हैं।
- न्यायमूर्ति एसके कौल ने कानूनी समुदाय में मध्यस्थता की दिशा में सकारात्मक बदलाव पर प्रकाश डाला।
- मध्यस्थता को खुली बातचीत और आपसी समझ को बढ़ावा देकर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
- मध्यस्थता दिवाला और दिवालियापन संहिता जैसी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक है।
- मध्यस्थ महात्मा गांधी के शांति और संतुलन के सिद्धांतों का पालन करते हुए किसी विवाद में पक्षों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं।
- मध्यस्थता को कानूनी और आर्थिक विवाद समाधानों को सुव्यवस्थित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है और मध्यस्थों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता होती है।

कौशल विकास में बाधाएँ

- विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 2023 महत्वपूर्ण है।
- सफल मध्यस्थता कानून और व्यावहारिक कार्यान्वयन दोनों पर निर्भर करती है।
- इच्छुक मध्यस्थों को योग्यता प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना आवश्यक है।
- कानून के छात्रों को अपने ग्राहकों के लिए दृढ़ता से वकालत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो मध्यस्थ की तटस्थता की भूमिका के विपरीत है।
- एक अधिवक्ता से मध्यस्थ बनने में महत्वपूर्ण चुनौतियां शामिल हैं।
- कानूनी शिक्षा को वकालत और मध्यस्थता कौशल को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- कानूनी पेशेवरों को वकालत और मध्यस्थता की भूमिकाओं के बीच प्रभावी ढंग से बदलाव करने के लिए निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है।

मध्यस्थों की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देना

- बेहतर प्रभावशीलता के लिए मध्यस्थता को कानूनी विशेषज्ञता से आगे जाना चाहिए।
- सह-मध्यस्थता और छाया मध्यस्थता जैसी नवीन प्रशिक्षण विधियों को मध्यस्थता अधिनियम 2023 में जोड़ा जाना चाहिए।
- सह-मध्यस्थता व्यावहारिक शिक्षा के लिए नए और अनुभवी मध्यस्थों को जोड़ती है।
- छाया मध्यस्थता, नौसिखियों को प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अंतर्दृष्टि के लिए मध्यस्थता सत्रों का अवलोकन करने की अनुमति देती है।
- ये विधियां जटिल विवादों से निपटने के लिए व्यावहारिक अनुभव और अवलोकनात्मक शिक्षा प्रदान करती हैं।
- मध्यस्थता प्रशिक्षण को विधि स्कूल के पाठ्यक्रमों में प्रारम्भ से ही शामिल किया जाना चाहिए।
- ये परिवर्तन कानूनी परिदृश्य को बदल देंगे तथा भारत में विवाद समाधान में विकास और नवाचार को बढ़ावा देंगे।
- मध्यस्थों की अगली पीढ़ी को कौशल प्रदान करके, समाज अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण बन सकता है।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 भारत में एक कानून है जिसका उद्देश्य विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना और उसे सुविधाजनक बनाना है। यहाँ मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है:

उद्देश्य

- संस्थागत मध्यस्थता, मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता और सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देना।
- घरेलू मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करना।
- **मध्यस्थों और मध्यस्थता संस्थाओं के पंजीकरण के लिए एक नियामक निकाय की स्थापना करना।**

प्रमुख विशेषताएँ

- **अनुप्रयोग:** यह अधिनियम वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक विवादों पर लागू होता है।
- **मध्यस्थता समझौता:** मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच लिखित समझौता आवश्यक है। यह अनुबंध में एक खंड या एक अलग समझौता हो सकता है।
- **मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता:** पक्षों को अदालत जाने से पहले मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **गोपनीयता:** मध्यस्थता कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखी जाती है।
- **मध्यस्थ नियुक्ति:** पक्षकार स्वयं अथवा मध्यस्थता सेवा प्रदाता के माध्यम से मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं।
- **भारतीय मध्यस्थता परिषद:** मध्यस्थों और मध्यस्थता संस्थाओं को विनियमित करने के लिए स्थापित।

फ़ायदे

- मुकदमेबाजी की तुलना में विवाद समाधान अधिक तीव्र एवं लागत प्रभावी होता है।
- विवाद के परिणाम पर पक्षों का अधिक नियंत्रण होता है।
- पूरी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखी जाती है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) भारतीय संसद द्वारा 2016 में पारित एक कानून है।

- **समेकित ढांचा:** यह कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए दिवालियापन और दिवालियापन से निपटने के लिए एक एकीकृत ढांचा स्थापित करता है।
- **समयबद्ध प्रक्रिया:** इसका उद्देश्य कुछ शर्तों के तहत विस्तार की संभावना के साथ, एक विशिष्ट समय सीमा, आमतौर पर 180-330 दिनों के भीतर दिवाला कार्यवाही को हल करना है।
- आईबीसी लेनदारों, कर्मचारियों और कंपनी सहित सभी हितधारकों के लाभ के लिए देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने को प्राथमिकता देता है।
- **उद्यमिता को बढ़ावा देता है: व्यवसायों को पुनर्जीवित करने** के लिए एक तंत्र प्रदान करके, IBC का लक्ष्य एक स्वस्थ उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है।
- **ऋण उपलब्धता:** एक अधिक कुशल दिवाला प्रणाली वित्तीय बाजारों में विश्वास को बढ़ावा देती है, जिससे व्यवसायों के लिए ऋण तक पहुंच आसान हो जाती है।
- **हितधारक संतुलन:** आईबीसी दिवालियापन प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : भारत में महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी प्रक्रिया के मद्देनजर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर उदाहरणों के साथ चर्चा करें।

दृष्टिकोण:

- भारत में मुकदमेबाजी प्रक्रिया की महंगी और समय लेने वाली प्रकृति के बारे में संक्षिप्त व्याख्या के साथ परिचय कराएँ।
- फिर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करें।
- इसके महत्व पर आगे चर्चा करें।
- तदनुसार निष्कर्ष निकालें।

उत्तर:

भारत में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया वर्तमान में विभिन्न कारणों से उच्च लागत और समय की देरी से प्रभावित है, जैसे कि जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों का खराब अनुपात, जो अदालतों में न भरी गई रिक्तियों, कई अपरिहार्य कारणों और अपील और पुनरीक्षण के कई दौर जैसी देरी की प्रक्रिया के कारण और भी बदतर हो गया है। कानून की अदालत की जटिल तकनीकों और वकीलों और अदालतों द्वारा ली जाने वाली उच्च फीस के कारण वकीलों पर निर्भरता।

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) मुकदमेबाजी के माध्यम से विवाद समाधान की पारंपरिक प्रक्रिया के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह चुनाव लड़ने वाले पक्षों को सुलभ, उपयोगी, अनौपचारिक, स्वैच्छिक, त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करता है। भारत में एडीआर तंत्र में अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थता, मध्यस्थता/सुलह, लोक अदालतें और उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली शामिल हैं।

एडीआर तंत्र का महत्व

- इससे न्याय में तेजी आती है और इसमें शामिल पक्षों को अंतिम परिणाम पर नियंत्रण मिलता है। इसके परिणामस्वरूप लिए गए निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन होता है, वैवाहिक और पारिवारिक मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान में मध्यस्थता बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकती है।
- अधिकांश एडीआर प्रक्रियाएं एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित हैं। वे मुकदमेबाजी की सामान्य विधि की तुलना में अधिक कॉर्पोरेटिव और कम प्रतिस्पर्धी हैं।
- यह परामर्श या मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से न्याय को अधिक सुलभ बनाता है।
- ए.डी.आर. में कार्यवाही अनौपचारिक होती है और इसमें न्यायालय की तरह वकील रखने जैसी औपचारिकताएं और जटिलताएं शामिल नहीं होती हैं।
- सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच विवादों का समाधान मुकदमेबाजी के बजाय अदालत के बाहर मध्यस्थता के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
- इसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, यहां तक कि जब कोई मामला न्यायालय में लंबित हो।
- एडीआर अक्सर मुकदमेबाजी की महंगी और लंबी प्रक्रिया से कम तनावपूर्ण होती है; अधिकांश लोगों ने एडीआर से उच्च स्तर की संतुष्टि की सूचना दी है।
- मल्लिमथ समिति** ने बताया है, एडीआर अदालती कार्यवाही में देरी और भीड़भाड़ को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए विकासशील देशों में एडीआर तंत्र को शामिल किया जा रहा है। भारत में एडीआर को अपनाना और लोकप्रिय बनाना भारत में सभी के लिए न्याय प्राप्त करने के बहुप्रतीक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अंतिम खेल की ओर: आम चुनाव का चौथा चरण (14 मई)

विपक्षी दल अपनी रणनीति से बेहतर होते जा रहे हैं

- लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 96 सीटों पर अब तक कुल 379 वोट पड़े।
- इस चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा की विधानसभा चुनाव भी शामिल थे।
- आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भाजपा, वाईएसआर कांग्रेस और बीजद के बीच मुकाबला है।
- 2019 में इस चरण में भाजपा ने 42 सीटें जीती थीं, वाईएसआर कांग्रेस ने 22 और बीआरएस ने नौ सीटें जीती थीं।
- अभियान में किसी परिभाषित विषय का अभाव है; पार्टियां मतदाताओं को एकजुट करने के लिए नारों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को मतदाता मतदान के आंकड़ों में देरी को लेकर कांग्रेस की आलोचना का सामना करना पड़ा।
- भाजपा और कांग्रेस धार्मिक और जातिगत पहचान के आधार पर मतदाताओं को लामबंद करती हैं।
- भाजपा ने ध्रुवीकरण के लिए मुसलमानों पर आरोप लगाने हेतु जनसांख्यिकीय रुझानों का इस्तेमाल किया।
- कांग्रेस को अपने एक सलाहकार द्वारा प्रयुक्त नस्लवादी भाषा के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत के बाद चुनाव प्रचार पर लौट आए।
- केजरीवाल ने राष्ट्रव्यापी कल्याण की गारंटी पेश करते हुए खुद को विपक्ष में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया।

हत्या और मकसद: नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड पर (14 मई)

दाभोलकर के हत्यारों को उम्रकैद की सजा, लेकिन पूरी साजिश का पर्दाफाश न हो पाना चिंताजनक है

- तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के लिए दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
- न्याय मिलने में 10 साल लग गए, मुख्य साजिशकर्ता सबूत के अभाव में बरी हो गया।
- महाराष्ट्र और कर्नाटक जांचकर्ताओं को दक्षिणपंथी समूह सनातन संस्था की संलिप्तता का संदेह है।
- संस्था से जुड़े वीरेंद्रसिंह तावडे साजिश के आरोप से बरी।
- कोर्ट ने दाभोलकर की हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान करने में विफलता की आलोचना की।
- बचाव पक्ष के वकीलों ने दाभोलकर की अंधविश्वास विरोधी सक्रियता को बदनाम करने का प्रयास किया।
- षड्यंत्र साबित करने के लिए केवल उद्देश्य अपर्याप्त है; प्रत्यक्ष साक्ष्य आवश्यक है।
- संस्था का संबंध पानसरे, कलबुर्गी और लंकेश सहित अन्य हत्याओं से है।
- बैलिस्टिक विश्लेषण से पता चला कि लंकेश की हत्या में प्रयुक्त हथियार का संबंध कलबुर्गी की हत्या में प्रयुक्त हथियार से है।
- सामान्य विशेषताएं बताती हैं कि एकल सिंडिकेट स्वतंत्र विचारकों को निशाना बना रहा है।
- सरकारों से राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने, मुकदमों में तेजी लाने और उग्रवाद से लड़ने का आग्रह किया गया।

गरीबी अनुपात में गिरावट: एक सतत प्रवृत्ति (14 मई) (GS PAPER II: गरीबी, भूख)

इस प्रकार, गरीबी में कमी आई है। उपभोग व्यय में असमानता कुछ कम हुई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

- भारत में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है।
- स्थापना:** 23 मई, 2019 (एनएसएसओ और सीएसओ का विलय)

एनएसओ क्या करता है

एनएसओ नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर डेटा एकत्र करके एनएसएसओ की विरासत को आगे बढ़ाता है। यह डेटा निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है:

- सरकारी नीतियां बनाना

- सामाजिक और आर्थिक विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी
- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों को समझना
- शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना

एनएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण

- रोजगार और बेरोजगारी दर
- साक्षरता और शैक्षिक स्तर
- उपभोक्ता व्यय पैटर्न
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- आवास की स्थिति
- भूमि का स्वामित्व

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) जारी किया।
- शोधकर्ताओं ने इस डेटा का उपयोग गरीबी और असमानता की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए किया।
- कुछ अध्ययनों में डेटा और माप के मुद्दों की तुलनीयता पर चर्चा की गई।

गरीबी, असमानता में रुझान

- हालाँकि, फैक्ट शीट डेटा के आधार पर गरीबी का अनुमान इकाई-स्तरीय डेटा से काफी भिन्न नहीं हो सकता है।
- 2011-12 से 2022-23 तक गरीबी अनुपात में काफी गिरावट आई, हालाँकि पिछली अवधि की तुलना में धीमी दर पर।
- 2011-12 और 2022-23 के बीच असमानता में भी गिरावट आई, खासकर शहरी क्षेत्रों में।
- अनुमान डेटा संग्रह की संदर्भ या स्मरण अवधि पर निर्भर करते हैं, जो समय के साथ बदलता रहता है।
- विभिन्न संदर्भ अवधियों से अलग-अलग अनुमान प्राप्त होते हैं, जिससे समय के साथ तुलना प्रभावित होती है।
- समय के साथ कार्यप्रणाली में परिवर्तन से अनुमान में सुधार हो सकता है, लेकिन तुलना के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

तेंदुलकर समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर **गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह** कहा जाता है, **योजना आयोग** द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था भारत में गरीबी मापने के तरीके की समीक्षा करने का काम उन्हें सौंपा गया था।

प्रमुख बिंदु:

- **मुख्य सिफारिश:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग उपभोग स्तरों के साथ "एक समान गरीबी रेखा टोकरी" शुरू की गई।

गरीबी रेखाएँ:

- समिति ने **बुनियादी जीवनयापन के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी सेवन (ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी) के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया।**
- **उन्होंने भोजन के अलावा कपड़े, आवास और अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी ध्यान में रखा।**
- 2004-05 (जिस वर्ष पर उन्होंने अपनी गणना आधारित की) के लिए, अखिल भारतीय गरीबी रेखा थी:
 - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹446.68
 - शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹578.80

अद्यतन गरीबी रेखाएँ

भारत सरकार द्वारा गरीबी का अनुमान लगाने के लिए अभी भी तेंदुलकर समिति की पद्धति का उपयोग किया जाता है, लेकिन मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखाओं को हर कुछ वर्षों में अद्यतन किया जाता है।

अतिरिक्त टिप्पणी:

- कुछ अर्थशास्त्रियों ने तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा को बहुत कम बताकर उसकी आलोचना की थी।
- एक बाद की समिति, रंगराजन समिति ने उच्च गरीबी रेखा का प्रस्ताव रखा, लेकिन सरकार ने इसे नहीं अपनाया।

लकड़ावाला समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर **गरीबों के अनुपात और संख्या के आकलन पर विशेषज्ञ समूह** कहा जाता है, **का गठन 1993 में योजना आयोग द्वारा किया गया था।** भारत की। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला ने की। समिति का प्राथमिक उद्देश्य भारत में गरीबी का आकलन करने की पद्धति की समीक्षा करना था।

- **कैलोरी उपभोग पर आधारित गरीबी रेखा:** समिति ने जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी सेवन के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने के मौजूदा दृष्टिकोण को जारी रखने की सिफारिश की। इसका मतलब यह है कि एक परिवार को गरीब माना जाता है यदि उसका उपभोग व्यय न्यूनतम अनुशंसित कैलोरी (**ग्रामीण में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100) वहन नहीं कर सकता है।**
- **राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाएँ:** समिति ने भारत के प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट गरीबी रेखाएँ बनाने का सुझाव दिया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जीवन-यापन लागत में भिन्नता को प्रतिबिंबित करे।
- **गरीबी रेखाओं को अद्यतन करना:** समिति ने शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का उपयोग करके गरीबी रेखाओं को नियमित रूप से अद्यतन करने, मुद्रास्फीति और उपभोग पैटर्न में परिवर्तन को ध्यान में रखने की सिफारिश की।

- **आंकड़ों पर निर्भरता:** समिति ने गरीबी के आकलन के लिए केवल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों के उपयोग पर जोर दिया, तथा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आधार पर अनुमान लगाने की प्रथा को बंद कर दिया।

लकड़वाला समिति की सिफारिशों को भारत सरकार ने 1997 में कुछ मामूली संशोधनों के साथ बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया था। ये सिफारिशें कई वर्षों तक भारत में गरीबी के आधिकारिक अनुमानों का आधार बनीं।

लकड़वाला समिति की कार्यप्रणाली को बाद में 2009 में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसने गरीबी आकलन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

रंगराजन समिति, आधिकारिक तौर पर वित्तीय समावेशन समिति के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति की जांच करने और इसे बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने की थी और इसमें वित्त और बैंकिंग के क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञ शामिल थे।

उद्देश्य: गरीबी मापने के तरीकों की समीक्षा और विकास करना

सिफारिशें: गरीबी रेखा को फिर से परिभाषित करने और वस्तुओं की टोकरी को पुनः व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

माप संबंधी मुद्दे

- गरीबी रेखा के लिए कैलोरी मानदंडों का उपयोग करने पर बहस चल रही है, तेंदुलकर समिति ने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपनाया है।
- रंगराजन समिति ने पुराने को अद्यतन करने के बजाय एक नई गरीबी टोकरी का सुझाव दिया।
- गरीबी रेखा निजी उपभोग पर आधारित है, लेकिन सार्वजनिक व्यय घरेलू खुशहाली को प्रभावित करता है।
- एचसीईएस 2022-23 ने कुछ सार्वजनिक व्यय मदों के लिए मूल्य निर्धारित किए लेकिन सभी को शामिल नहीं किया।
- **गरीबी में कमी आई और उपभोग असमानता में थोड़ी कमी आई।**
- **आय असमानता आमतौर पर उपभोग असमानता से अधिक होती है।**
- गरीबी को मापने का कोई एक तरीका नहीं है; उच्च कट-ऑफ का अर्थ है कि अधिक लोगों को गरीब माना जाएगा।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत राष्ट्रीय नमूना कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण है।

एचसीईएस को पूरे भारत में परिवारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खपत के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डेटा खर्च के पैटर्न को समझने, गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना करने और मुद्रास्फीति (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है।

यह कितनी बार आयोजित किया जाता है?

HCES आम तौर पर हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। नवीनतम सर्वेक्षण, HCES 2022-23, अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच आयोजित किया गया था।

एचसीईएस 2022-23 से मुख्य निष्कर्ष

- 2011-12 की तुलना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शहरी एमपीसीई 33.5% बढ़कर ₹3,510 हो गया, जबकि ग्रामीण एमपीसीई 40.42% बढ़कर ₹2,008 हो गया [2]।
- खाद्य पदार्थ अभी भी प्रमुख व्यय श्रेणी में शामिल हैं, ग्रामीण परिवारों में इनका व्यय 46% और शहरी परिवारों में 39% है।

चयनात्मक आक्रोश का मामला (14 मई)

महिला सुरक्षा तभी केंद्र में आती है जब इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य पूरा होता है

- कुम्बारागाडिगे गांव में, एक 16 वर्षीय लड़की ने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की और एक 33 वर्षीय व्यक्ति से सगाई कर ली।
- जिला बाल संरक्षण इकाई ने शादी में देरी करने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन दूल्हे ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी और उसका सिर लेकर भाग गया।
- हुबली में मास्टर्स की छात्रा नेहा हिरेमठ की उसके पूर्व सहपाठी फैयाज खोंडुनायक ने हत्या कर दी।
- बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने अपनी सहकर्मी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था; बचाव में उसकी मां ने उसकी हत्या कर दी।
- विषाक्त पुरुषत्व उन सभी मामलों में स्पष्ट है, जहां पुरुष अस्वीकृति को स्वीकार नहीं कर पाते।
- नेहा की हत्या ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, भाजपा ने बिना किसी सबूत के इसे "लव जिहाद" करार दिया।
- मुस्लिम समुदाय पर दबाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप हत्या की निंदा करते हुए स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया।
- हालाँकि, बेंगलुरु में सिर काटने की घटना या हत्या पर कम आक्रोश दिखा।
- राजनीतिक दल अक्सर चुनावों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा की अपेक्षा धर्म या वर्ग जैसी अन्य पहचानों को प्राथमिकता देते हैं।

- इसे आमतौर पर कण्ठमाला और रूबेला टीकों (एमएमआर) के साथ दिया जाता है।
- यह टीका आमतौर पर दो खुराकों में दिया जाता है, पहली खुराक लगभग 12-15 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 4-6 वर्ष की उम्र में।
- कुछ देशों में टीकाकरण कार्यक्रम अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जांच करवाना बेहतर है।

स्मार्ट सिटीज मिशन का अवलोकन (14 मई) (GS PAPER I: शहरीकरण)

An overview of the Smart Cities Mission

How are smart cities defined by the government? What are the two major aspects of the Smart Cities Mission? Why is the mission considered to be exclusionary to many? Did the SCM override the 74th Constitutional Amendment?

EXPLAINER

Tikender Panwar

The story so far:

The Smart Cities Mission (SCM), a flagship programme of the NDA-1 government, has taken a back seat in this year's list of poll promises and achievements.

What are smart cities?

The term 'Smart City' has been used widely ever since 2009, after the great financial crash. Smart cities were defined by urban practitioners as new Silicon Valleys built with a strong integration of a network of airports, highways, and other types of communications, a so-called intellectual city with advanced ICT.

The NDA-1 government wanted to adapt to these global changes, already happening through the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). It went ahead with a major flagship programme and thus, the SCM was announced in June 2015. Hundred cities were selected for five years under the mission. However, the mission did not clearly define a smart city. It stated, "there is no universally accepted definition of a Smart City.... The conceptualisation of Smart City... varies from city to city and country to country, depending on the level of development, willingness to change and reform, resources and aspirations of the city residents. A Smart City would have a different connotation in India than, say, Europe. Even in India, there is no one way of defining a Smart City."

What was the SCM?

The SCM had two main aspects: area-based development consisting of three components – redevelopment (city renewal), retrofitting (city improvement), and green field projects (city extension); and pan-city solutions based on ICT. These further comprised some six categories that would include



Still in the dark: The Cochin Smart Mission Limited has installed LED lights on the Katrikadavu Bridge and on the Kaloorkadavanthra Road, in Kochi. H. VIBHU

e-governance, waste management, water management, energy management, urban mobility, and skill development. Around ₹2 lakh crore was kept aside for the mission, with public-private partnerships (PPP) an important driver of the same.

The mission that was to be completed in 2020, was given two extensions till June 2024. Additionally, to make the mission effective, a business model of governance was adopted bypassing the existing models of city governance in the country. An SPV (special purpose vehicle) led by a bureaucrat or a representative of an MNC, and other major stakeholders was created and registered under the Companies Act. The elected council, thus, had little role in the governance structure.

What is the status of the SCM?

The Urban Ministry's dashboard as of

April 26, exhibits that 8,033 projects sanctioned under the SCM have seen a fall in the total outlay from the expected ₹2 lakh crore to ₹1,67,875 crore, which is 16% less than the projected capital flow in 100 cities. The dashboard also states that the SCM grant funded 5,533 projects worth ₹65,063 crore that have been completed, while 921 projects worth ₹21,000 crore are still ongoing.

As many as 400 projects being undertaken by about 10 cities under the Mission are unlikely to meet the extended deadline of June 2024.

Interestingly, the funding pattern shows that not more than 5% has come through the PPP route.

Where did the SCM falter?

The selection of 100 cities on a competitive basis was flawed due to the

diversity in existing urban realities. The scheme was divorced from the ground realities of urban India – the urbanisation here is dynamic and not static like the West.

The SCM became an exclusionary scheme wherein not more than 1% of a city's geographical area was selected for development. For example, Chandigarh which received ₹196 crore in the first tranche under the SCM spent it on smart water meters, a Wi-Fi zone, and solid waste management programmes all ploughed into one pocket-sector 43.

According to two major reports by McKinsey, to make Indian cities liveable, a capital expenditure of \$1.2 trillion is required by 2030. In this context, ₹1,67,875 crore is less than \$20 billion in nine years. This comes to around 0.027% of the total requirement in urban India. Hence, there was little traction for this scheme.

Additionally, the SPV model designed for smart cities was not aligned with the 74th Constitutional Amendment, which led to many cities objecting to the governance structure. The design, according to critics, was too top-bottom. A hilly town that had an annual budget of less than ₹100 crore claimed projects worth more than ₹2,500 crore. This was incongruent to the demands of the residents of the town.

Urban India, according to the World Bank has more than 49% of the population living in slums. In the name of executing smart city projects, there was displacement of people living in poorer localities. Street vendors, for example, were displaced and urban commons were disrupted.

Another major consequence of the SCM has been enhanced urban flooding. Some of the towns which have historically never been flooded were made vulnerable because of infrastructure development projects that spoiled or dismantled the water channels and contours.

Tikender Singh Panwar is former Deputy Mayor, Shimla, and Member, Kerala Urban Commission.

THE GIST

Smart cities were defined by urban practitioners as new Silicon Valleys built with a strong integration of a network of airports, highways, and other types of communications, a so-called intellectual city with advanced ICT.

The Urban Ministry's dashboard as of April 26, exhibits that 8,033 projects sanctioned under the SCM have seen a fall in the total outlay from the expected ₹2 lakh crore to ₹1,67,875 crore, which is 16% less than the projected capital flow in 100 cities.

The SCM became an exclusionary scheme wherein not more than 1% of a city's geographical area was selected for development. The scheme was divorced from ground realities of urban India.

स्मार्ट शहरों को कैसे परिभाषित किया जाता है? स्मार्ट सिटी मिशन के दो प्रमुख पहलू क्या हैं? इस मिशन को कई लोगों द्वारा बहिष्कृत क्यों माना जाता है? क्या SCM ने 74वें संविधान संशोधन को दरकिनार कर दिया?

- स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) पिछली एनडीए-1 सरकार के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम था।
- हालाँकि, इस साल के चुनावी वादों और उपलब्धियों की सूची में इसे ज़्यादा उजागर नहीं किया गया है।

स्मार्ट शहर क्या हैं?

- "स्मार्ट सिटी" शब्द 2009 की वित्तीय मंदी के बाद लोकप्रिय हो गया।
- यह उन्नत प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के एकीकरण के साथ डिजाइन किए गए शहरों को संदर्भित करता है।
- एनडीए-1 सरकार का लक्ष्य जेएनएनयूआरएम जैसे शहरी नवीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक परिवर्तनों को अनुकूलित करना था।
- स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) को एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में जून 2015 में लॉन्च किया गया था।
- एससीएम के तहत, पांच वर्षों में विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया था।
- हालाँकि, मिशन ने स्पष्ट रूप से यह परिभाषित नहीं किया कि किसी शहर को "स्मार्ट" क्या बनाता है।
- इसने स्वीकार किया कि इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है और यह विकास स्तर और निवासी आकांक्षाओं जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती है।
- किसी शहर को "स्मार्ट" बनाने के बारे में अलग-अलग शहरों और देशों की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं।

एससीएम क्या था?

- स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के दो मुख्य पहलू थे: क्षेत्र-आधारित विकास और पैन-सिटी समाधान।
- क्षेत्र-आधारित विकास में पुनर्विकास, रेट्रोफिटिंग और ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शामिल थीं।
- पैन-सिटी समाधान आईसीटी पर केंद्रित थे और इसमें ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास शामिल थे।
- मिशन के लिए लगभग ₹2 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) महत्वपूर्ण थी।
- मूल रूप से 2020 में पूरा होने वाला मिशन, जून 2024 तक दो बार बढ़ाया गया था।
- मिशन के लिए मौजूदा शहर प्रशासन मॉडल को दरकिनार करते हुए एक नया शासन मॉडल अपनाया गया।
- कंपनी अधिनियम के तहत एक नौकरशाह या बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) बनाया गया था।
- निर्वाचित परिषद की शासन संरचना में सीमित भूमिका थी।

एससीएम की स्थिति क्या है?

- शहरी मंत्रालय के डैशबोर्ड के अनुसार, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कुल परिव्यय में कमी आई है।
- अपेक्षित परिव्यय ₹2 लाख करोड़ था, लेकिन यह गिरकर ₹1,67,875 करोड़ हो गया है, जो 16% कम है।
- एससीएम अनुदान ने ₹65,063 करोड़ की 5,533 पूर्ण परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जबकि ₹21,000 करोड़ की 921 परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं।
- 10 शहरों द्वारा शुरू की गई लगभग 400 परियोजनाओं के जून 2024 की विस्तारित समय सीमा को पूरा करने की संभावना नहीं है।
- फंडिंग का केवल एक छोटा सा हिस्सा, 5% से भी कम, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मार्ग के माध्यम से आया है।

एससीएम कहां लड़खड़ाया?

- स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के लिए 100 शहरों का चयन विविध शहरी वास्तविकताओं के कारण त्रुटिपूर्ण था।
- इस योजना में पश्चिम के स्थिर शहरी वातावरण के विपरीत, भारत में शहरीकरण की गतिशील प्रकृति पर विचार नहीं किया गया।
- एससीएम बहिष्कृत हो गया, शहर के केवल 1% क्षेत्र को विकास के लिए चुना गया।
- उदाहरण: चंडीगढ़ ने अपने एससीएम फंड को एक क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किया, शहर के अन्य हिस्सों की उपेक्षा की।
- मैकिन्से की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक भारतीय शहरों को रहने योग्य बनाने के लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
- एससीएम के लिए आवंटित ₹1,67,875 करोड़ अपर्याप्त है, जो नौ वर्षों में \$20 बिलियन से भी कम है।
- यह भारत में कुल शहरी विकास आवश्यकता का केवल 0.027% दर्शाता है।
- स्मार्ट शहरों के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) मॉडल को 74वें संवैधानिक संशोधन के साथ संरेखित नहीं किया गया था, जिसके कारण शासन संरचना पर आपत्तियां हुईं।
- आलोचकों का तर्क है कि डिज़ाइन बहुत ऊपर से नीचे था, शहरों को असमानुपातिक परियोजना निधि प्राप्त हो रही थी।
- शहरी भारत की 49% से अधिक आबादी मलिन बस्तियों में रहती है, और एससीएम परियोजनाओं के कारण शहरी आम लोगों का विस्थापन और विघटन हुआ।
- एससीएम परियोजनाओं ने कुछ कस्बों में जल चैनलों और रूपरेखाओं को बाधित करके शहरी बाढ़ को बढ़ाने में भी योगदान दिया है।

लिव-इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति क्या है? (14 मई) (GS PAPER I: समाज, GS PAPER II: संवैधानिक नैतिकता)

What is the legal position on live-in relationships?

What did the Allahabad High Court state with respect to Muslims and live-in relationships?

Ziya Us Salam

The story so far:

The Lucknow bench of the Allahabad High Court stated earlier this month that a Muslim cannot claim rights in a live-in relationship when he or she has a living spouse. A two judge Bench of Justices A.R. Masoodi and A.K. Srivastava called such a relationship against the tenets of Islam while hearing a writ petition by Sneha Devi and Mohammed Shadab Khan. Ms. Devi and Mr. Khan had sought protection from police action after the woman's parents filed a kidnapping case against Mr. Khan.

What happened?

The couple had told the court they were adults in a live-in relationship and that they sought protection under Article 21 of the Constitution (protection of life and personal liberty). The judges, however, stated, "Islamic tenets do not permit live-in relationships during the subsisting

marriage. The position may be different if the two persons are unmarried and the parties being major choose to lead their lives in a way of their own." Incidentally, Mr. Khan was married to one Farida Khatoon since 2020.

"The constitutional morality may come to the rescue of such a couple and the social morality settled through the customs and usages over ages may give way to the constitutional morality and protection under Article 21 of the Constitution of India may step in to protect the cause. The case before us is, however, different," the court said, adding, "The constitutional protection under Article 21 of the Constitution of India would not lend an un-canalised support to such a right."

What have been previous orders?

Live-in relationships with variables of marital status of the partners, their possibly different faiths, birth of children and even separation have occupied the attention of the judiciary at various levels

in recent years. If in the case of Ms. Devi and Mr. Khan, only the latter was married, in another case last year, both partners were married but involved in a live-in relationship away from wedlock.

In November last year, the Supreme Court stayed orders passed by lower courts and the Gujarat High Court awarding maintenance to a woman from the man she had been living with. The top court order came after a Surat-based man challenged the High Court order arguing that their relationship could not be termed a domestic relationship as they were both married to other people at the time of cohabitation. While their respective marriages subsisted, they lived together in 2012 and had a daughter too a couple of years later. The woman had approached the judiciary as the live-in relationship did not work out, and sought relief under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. She sought maintenance too.

Interestingly in the same month, the Punjab and Haryana High Court stated

that a couple living together without obtaining a divorce from their previous spouse cannot be classified as being in a "live-in relationship" or being in a union similar to marriage. The court even felt that such an arrangement would amount to the offence of bigamy under Sections 494/495 of the Indian Penal Code. In this case, the man was already married. The court refused to provide protection to the couple, stating, "The male partner is engaging in a lustful and adulterous life with the female partner without obtaining a valid divorce from his previous spouse."

What have the Courts said about live-in relationships?

India does not have any laws that directly address a live-in partnership. As per the top Court, for a man and a woman to live together is part of 'the right to life'; therefore, a live-in relationship is no longer an offence. The Supreme Court in its various judgments has stated that a man and a woman living like a husband and a wife in a long-term relationship, and even have children, the judiciary will presume that the two were married and that the same laws would be applicable to them and their relationship. The concept of a live-in relationship was recognised in *Payal Sharma versus Nari Niketan* by the Allahabad High Court, where the judges felt, "A man and a woman, even without getting married, can live together if they wish to. This may be regarded as immoral by society, but it is not illegal. There is a difference between law and morality."

THE GIST

The Lucknow bench of the Allahabad High Court stated earlier this month that a Muslim cannot claim rights in a live-in relationship when they have a living spouse.

The Punjab and Haryana High Court stated that a couple living together without obtaining a divorce from their previous spouse cannot be classified as being in a "live-in relationship" or being in a union similar to marriage.

India does not have any laws that directly address a live-in partnership.

मुसलमानों और लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा ?

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस महीने की शुरुआत में एक बयान दिया था।
- बयान में कहा गया है कि यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति के पास पहले से ही जीवित जीवनसाथी है तो वह लिव-इन रिलेशनशिप में अधिकारों का दावा नहीं कर सकता।
- न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति एके श्रीवास्तव ने स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
- स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान ने महिला के माता-पिता द्वारा श्री खान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की।
- अदालत ने ऐसे रिश्ते को इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया।

क्या हुआ?

- दम्पति ने दावा किया कि वे वयस्क हैं तथा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तथा उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा मांगी, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है।
- हालांकि, न्यायाधीशों ने कहा कि इस्लामी सिद्धांत विवाह के वैध रहने तक लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं देते हैं।
- न्यायाधीशों ने कहा कि यदि दम्पति अविवाहित और वयस्क हैं, तो वे साथ-साथ रहने का विकल्प चुन सकते हैं।
- रिश्ते में शामिल व्यक्तियों में से एक मोहम्मद शादाब खान की शादी 2020 से फरीदा खातून से हुई थी।
- अदालत ने कहा कि यद्यपि संवैधानिक नैतिकता ऐसे दम्पतियों की रक्षा कर सकती है, परंतु इस मामले में यह लागू नहीं होती।
- अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान का अनुच्छेद 21 ऐसे अधिकारों को अप्रतिबंधित समर्थन प्रदान नहीं करता है।

पिछले आदेश क्या थे?

- हाल के वर्षों में न्यायपालिका द्वारा लिव-इन संबंधों से संबंधित मामलों की जांच की गई है, जिसमें वैवाहिक स्थिति, धार्मिक मतभेद, बच्चों के जन्म और अलगाव जैसे कारकों पर विचार किया गया है।
- सुश्री देवी और श्री खान से जुड़े एक मामले में, केवल श्री खान विवाहित थे, जबकि सुश्री देवी नहीं थीं।
- पिछले साल के एक अन्य मामले में एक जोड़ा शामिल था जो दोनों शादीशुदा थे लेकिन शादी के बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जहां एक महिला ने उस पुरुष से गुजारा भत्ता मांगा, जिसके साथ वह रहती थी, भले ही उस समय उन दोनों की शादी दूसरे लोगों से हुई थी।
- महिला ने अपने रिश्ते के खत्म होने के बाद राहत की मांग करते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 का इस्तेमाल किया।
- इसी तरह, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपने पिछले जीवनसाथी को तलाक दिए बिना एक साथ रहने वाले जोड़ों को "लिव-इन रिलेशनशिप" में नहीं माना जा सकता है।
- अदालत ने ऐसी व्यवस्थाओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 494/495 के तहत संभावित रूप से द्विविवाह का अपराध माना।
- इस मामले में, पुरुष पहले से ही विवाहित था, और अदालत ने पुरुष साथी पर व्यभिचार करने का आरोप लगाते हुए दम्पति को सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया।

लिव-इन रिलेशनशिप के बारे में न्यायालयों ने क्या कहा है?

- भारत में लिव-इन पार्टनरशिप को सीधे तौर पर संबोधित करने वाले कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि साथ-साथ रहना "जीवन के अधिकार" का हिस्सा है, जिससे लिव-इन रिलेशनशिप वैध हो गया है और इसे अपराध नहीं माना जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, यदि कोई पुरुष और महिला पति-पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं, भले ही उनका औपचारिक विवाह न हुआ हो, लेकिन वे बच्चों के साथ दीर्घकालिक संबंध में रहते हैं, तो न्यायपालिका उन्हें विवाहित मान लेगी।
- ऐसे मामलों में, विवाहित जोड़ों पर लागू होने वाले वही कानूनी अधिकार और दायित्व उनके रिश्ते पर भी लागू होंगे।
- लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा को पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई थी।
- अदालत ने वैधता और नैतिकता के बीच अंतर पर जोर देते हुए कहा कि हालांकि समाज अविवाहित जोड़ों को एक साथ रहने को अनैतिक मान सकता है, लेकिन कानून के अनुसार यह अवैध नहीं है।

प्रश्न: 'संवैधानिक नैतिकता' संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या करें। (150 शब्द/10 अंक) (यूपीएससी 2021)

एक स्वतंत्र जनसंख्या स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन (IHME) यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन पर आधारित, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आईएचएमई) समय पर, प्रासंगिक और वैज्ञानिक रूप से मान्य साक्ष्य विकसित करने के लिए दुनिया भर के सहयोगियों के साथ काम करता है जो हर जगह स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रकाश डालता है। अपने शोध को उपलब्ध और पहुंच योग्य बनाने में, हमारा उद्देश्य हमारी दृष्टि की खोज में स्वास्थ्य नीति और अभ्यास को सूचित करना है: सभी लोग पूर्ण स्वास्थ्य में लंबे समय तक जीवित रहते हैं।

- प्रकार: सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी और अनुसंधान संस्थान
- फोकस: वैश्विक स्वास्थ्य आँकड़े और प्रभाव मूल्यांकन
- स्थान: वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सिएटल
- संस्थापक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
- स्थापित: जुलाई 2007

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) भारत में जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न पहलुओं पर राज्य और राष्ट्रीय जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित एक बड़े पैमाने पर, बहु-दौर सर्वेक्षण है।

यहां आधिकारिक स्रोतों के आधार पर एनएफएचएस का त्वरित सारांश दिया गया है:

- **संचालनकर्ता:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार।
- **नोडल एजेंसी:** अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई।
- **आयोजित दौर:** 1992-93 में इसकी स्थापना के बाद से पांच दौर।
- **नवीनतम दौर:** एनएफएचएस-5 2019 और 2021 के बीच दो चरणों में आयोजित किया गया।
- **उपलब्ध डेटा:** भारत, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) और जिलों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण पर जानकारी।
- **कवर किए गए प्रमुख क्षेत्र:** प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन प्रथाएं, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग।

एनएफएचएस भारत की जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकत्र किए गए डेटा से प्रगति का आकलन करने, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और स्वस्थ भारत के लिए प्रभावी हस्तक्षेप डिजाइन करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर)

भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक : एनसीईआर की शुरुआत 1956 में एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में हुई थी, जो सरकार और उद्योग दोनों की जरूरतों को पूरा करती है और उनका समर्थन करती है। एनसीईआर एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान करने का समृद्ध इतिहास है।

मिशन: प्रधान मंत्री नेहरू के दृष्टिकोण के साथ स्थापित , एनसीईआर अनुसंधान और नीति सिफारिशें पेश करके सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए एक साउंडिंग बोर्ड के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के रूप में 1956 में विशिष्ट रूप से शुरू की गई, एनसीईआर को सरकारी और निजी दोनों उद्योगों से धन प्राप्त होता है। **नेतृत्व:** वर्तमान में, एनसीईआर का नेतृत्व महानिदेशक पूनम गुप्ता और अध्यक्ष नंदन एम. नीलेकणि कर रहे हैं।

मुख्यालय : नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

\$101.74 बिलियन के साथ, चीन वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए शीर्ष आयात भागीदार बना रहा (14 मई)

- वित्त वर्ष 2023-24 में चीन भारत का शीर्ष आयात भागीदार बना रहा।
- चीन से भारत का आयात वर्ष-दर-वर्ष 3.29% बढ़कर कुल 101.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- चीन से आयात में यह वृद्धि, भारत के कुल आयात में 5.66% की गिरावट के विपरीत है।
- दूरसंचार और स्मार्टफोन पार्ट्स, लैपटॉप, पीसी जैसी उच्च तकनीक वाली वस्तुओं के साथ-साथ प्लास्टिक, लोहा, इस्पात और रसायन जैसे औद्योगिक इनपुट ने इन आयातों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आवश्यक और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आयात भारत की चीन पर निर्भरता को उजागर करता है।
- जैसा कि वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (GTRI) द्वारा कहा गया है, यह स्थिति आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के संभावित जोखिम तथा स्रोतों में विविधता लाने और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से पुनर्मूल्यांकन के महत्व पर जोर देती है।

रूस दूसरे नंबर पर (14 मई)

- वित्त वर्ष 2023-24 में रूस भारत के लिए आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।
- वित्तीय वर्ष के दौरान रूस से आयात 34% बढ़कर 61.44 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- रूस से होने वाले इन आयातों में अधिकांश तेल शामिल था।

एंटी रेमोविच बेलौसोव (जन्म 17 मार्च 1959) एक रूसी अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं, जो मई 2024 से रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बेलौसोव ने पहले जनवरी 2020 से मई 2024 तक रूस के प्रथम उप प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले, वे 24 जून 2013 को रूस के राष्ट्रपति के आर्थिक सहायक और आर्थिक विकास मंत्री थे। उन्होंने सर्गेई शोइगु का स्थान लिया।

पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में हांगकुन दक्षिण झील:

- मिंग राजवंश के दौरान 1607 में निर्मित
- **स्थान:** हांगकुन गांव के दक्षिण में, चीन (इस प्राचीन गांव को 2000 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था।)
- **डिजाइन:** झील का आकार तीरंदाज के धनुष जैसा है और इसे पार करने के लिए एक लंबा पथर का पुल है। इसका डिजाइन हांगजो में वेस्ट लेक से प्रेरित है।

- **महत्व:** साउथ लेक, होंगकुन गांव में बहने वाले कई जलमार्गों में से एक है। ये जलमार्ग गांव के डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो फेंग शुई सिद्धांतों पर आधारित है। साउथ लेक खुद गांव के लिए एक जलाशय के रूप में काम करता था।
- **वर्तमान स्थिति:** साउथ लेक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसे हांगकुन गांव के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक माना जाता है



55 कैनक्री ई, जिसे जैनसेन के नाम से भी जाना जाता है, एक चट्टानी बाह्य ग्रह है जो सूर्य जैसे तारे 55 कैनक्री ए की परिक्रमा करता है, जो कर्क राशि में लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है:

- **आकार और द्रव्यमान:**
 - पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग आठ गुना।
 - व्यास पृथ्वी से लगभग दोगुना।
- **वर्गीकरण:** "सुपर-अर्थ" के रूप में वर्गीकृत - पृथ्वी से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा।
- **संरचना:** संभवतः इसकी संरचना हमारे सौर मंडल के चट्टानी ग्रहों के समान है, लेकिन चरम वातावरण सटीक संरचना को अनिश्चित बनाता है।
- **की परिक्रमा:**
 - अपने तारे के बेहद करीब, केवल 14 लाख मील (बुध और सूर्य के बीच की दूरी का पच्चीसवां हिस्सा) की दूरी पर परिक्रमा करता हुआ।
 - 18 घंटे से भी कम समय में एक पूर्ण परिक्रमा पूरी कर लेता है।
 - संभवतः ज्वार-भाटा से घिरा हुआ, जिसका अर्थ है कि एक पक्ष हमेशा तारे की ओर रहता है और चिलचिलाती गर्मी का अनुभव करता है, जबकि दूसरा पक्ष सदैव अंधकार में रहता है।
- **वायुमंडल:** जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में किए गए अवलोकनों से एक पतले वायुमंडल की उपस्थिति का पता चलता है, लेकिन इसकी संरचना अभी तक अज्ञात है।

रोचक तथ्य:

- 2004 में खोजा गया 55 कैनक्री ई मुख्य अनुक्रम तारे की परिक्रमा करने वाला पहला सुपर-अर्थ था।
- अपने मेजबान तारे के अत्यंत निकट होने के कारण, 55 कैक्री ई की सतह संभवतः पिघली हुई है - एक भयंकर नरक जो जीवन के लिए अनुपयुक्त है, जैसा कि हम जानते हैं।

अतिरिक्त टिप्पणी:

- यद्यपि यह ग्रह स्वयं रहने योग्य नहीं है, फिर भी सुपर-अर्थ के चारों ओर वायुमंडल की खोज, संभावित रूप से जीवन-सहायक बाह्यग्रहों की खोज में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- जेम्स वेब जैसे दूरबीनों का उपयोग करके आगे किए जाने वाले अनुसंधान से 55 कैक्री ई. के वायुमंडल और समग्र स्थितियों के बारे में अधिक विवरण सामने आ सकते हैं।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
ए) भारत के प्रधान मंत्री
बी) भारत के राष्ट्रपति

उत्तर: बी) भारत के राष्ट्रपति
स्पष्टीकरण: NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत है।

सी) भारत का सर्वोच्च न्यायालय डी) भारत की संसद	
प्रश्न 2: एनएचआरसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए) एनएचआरसी एक संवैधानिक निकाय है बी) इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी सी) यह लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है डी) एनएचआरसी केवल सिफारिशें कर सकता है और उसके पास अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है	उत्तर: ए) एनएचआरसी एक संवैधानिक निकाय है स्पष्टीकरण: एनएचआरसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है; यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। विकल्प बी) सही है क्योंकि एनएचआरसी वास्तव में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया था। विकल्प सी) सही है क्योंकि एनएचआरसी के पास लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने की शक्ति है। विकल्प डी) सही है क्योंकि एनएचआरसी संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें कर सकता है लेकिन उसके पास अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है।
NHRC का अधिकार क्षेत्र क्या है? ए) केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में बी) केवल निजी व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सी) सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में डी) केवल विदेशी नागरिकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में	उत्तर: सी) सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में व्याख्या: एनएचआरसी को सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों के साथ-साथ सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। विकल्प A) गलत है क्योंकि NHRC का अधिकार क्षेत्र केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं है। विकल्प B) गलत है क्योंकि NHRC का अधिकार क्षेत्र केवल निजी व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। विकल्प D) गलत है क्योंकि NHRC का अधिकार क्षेत्र केवल विदेशी नागरिकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है।
प्रश्न 3: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एनएचआरसी की स्थापना से संबंधित है? ए) अनुच्छेद 19 बी) अनुच्छेद 21 सी) अनुच्छेद 32 डी) अनुच्छेद 51ए	उत्तर: डी) अनुच्छेद 51ए स्पष्टीकरण: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, लेकिन इसमें विशेष रूप से एनएचआरसी की स्थापना का उल्लेख नहीं है। NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। इसलिए, विकल्प D गलत है।
प्रश्न 4: राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) कब स्थापित किया गया था? ए) 1993 बी) 2000 सी) 2009 डी) 2014	उत्तर: सी) 2009 स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) 2009 में स्थापित किया गया था। इसलिए, विकल्प C सही है।
प्रश्न 5: गनहरी का मुख्य कार्य क्या है? A) मानवाधिकार संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना B) दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करना सी) राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को मजबूत और समर्थन करना D) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना	उत्तर: सी) राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को मजबूत और समर्थन करना स्पष्टीकरण: GANHRI का मुख्य कार्य दुनिया भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRI) को मजबूत करना और समर्थन करना है। इसलिए, विकल्प C सही है। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि GANHRI का मुख्य कार्य वित्तीय सहायता प्रदान करना, दुनिया भर में उल्लंघनों की निगरानी करना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना नहीं है।
प्रश्न 6: गनहरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए) जिनेवा, स्विट्जरलैंड बी) न्यूयॉर्क, यूएसए सी) वियना, ऑस्ट्रिया डी) पेरिस, फ्रांस	उत्तर: A) जिनेवा, स्विट्जरलैंड व्याख्या: GANHRI का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसलिए, विकल्प A सही है।
प्रश्न 7: कर्क राशि में स्थित "सुपर-अर्थ" नामक बाह्यग्रह का नाम क्या है? ए) 51 पेगासी बी बी) 55 कैंक्री ई सी) केप्लर-186एफ	उत्तर: बी) 55 कैंक्री ई स्पष्टीकरण: 55 कैंक्री ई उस एक्सोप्लैनेट का नाम है जिसे "सुपर-अर्थ" कहा जाता है। 55 कैंक्री ई पृथ्वी से लगभग 8 गुना अधिक भारी है। इसलिए, विकल्प B सही है।

डी) प्रॉक्सिमा सेंटॉरी बी	
प्रश्न 8: पृथ्वी से 55 कैंक्री ई कितनी दूर है? ए) 4 प्रकाश वर्ष बी) 20 प्रकाश वर्ष सी) 41 प्रकाश वर्ष डी) 100 प्रकाश वर्ष	उत्तर: सी) 41 प्रकाश वर्ष व्याख्या: 55 कैंक्री ई पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर है। इसलिए, विकल्प C सही है। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि वे ऐसी दूरी प्रदान करते हैं जो पृथ्वी से 55 कैंक्री ई की वास्तविक दूरी से मेल नहीं खाती है।
प्रश्न 9 : कौन सी नियामक संस्था भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता ("आईबीसी") के कार्यान्वयन की देखरेख करती है? ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सी) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) डी) भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई)	उत्तर: D) भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) व्याख्या: भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता ("IBC") के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। इसलिए, विकल्प D सही है। विकल्प A, B और C गलत हैं क्योंकि वे उन नियामक निकायों का वर्णन करते हैं जो IBC की देखरेख के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
प्रश्न 10: दिवाला और दिवालियापन संहिता ("आईबीसी") के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? ए) 90 दिन, जिसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है बी) 180 दिन, जिसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है सी) 365 दिन, जिसे 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है D) 730 दिन, जिसे 365 दिन तक बढ़ाया जा सकता है	उत्तर: बी) 180 दिन, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है स्पष्टीकरण: दिवाला और दिवालियापन संहिता ("IBC") के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा 180 दिन है, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, विकल्प B सही है।
प्रश्न 11: कथन: रंगराजन समिति द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा पूरी तरह से घरेलू आय पर आधारित है। सही विकल्प चुनें: सच्चा बी) झूठ	उत्तर: बी) गलत स्पष्टीकरण: रंगराजन समिति द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा कई कारकों पर आधारित है, जिसमें घरेलू आय और व्यय, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच और न्यूनतम पोषण संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं। इसलिए, यह कथन गलत है
प्रश्न 12: रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? ए) 22% बी) 29.5% सी) 37% डी) 45.5%	उत्तर: बी) 29.5% व्याख्या: रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारत की लगभग 29.5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे मानी जाती है। इसलिए, विकल्प B सही है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि वे ऐसे प्रतिशत प्रदान करते हैं जो रंगराजन समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के अनुरूप नहीं हैं।
प्रश्न 13: रंगराजन समिति की गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए) गरीबी रेखा का निर्धारण पूरी तरह से घरेलू आय के आधार पर किया जाता है। बी) गरीबी रेखाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान हैं। सी) गरीबी रेखा मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच पर आधारित है। डी) बिना किसी क्षेत्रीय विविधता के संपूर्ण भारतीय आबादी के लिए गरीबी रेखा की सिफारिश की गई थी।	उत्तर: सी) गरीबी रेखा मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच पर आधारित है। व्याख्या: रंगराजन समिति की गरीबी रेखाएं मुख्य रूप से घरेलू आय के बजाय न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इसलिए, विकल्प C सही है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि गरीबी रेखाएं बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सहित विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, और वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती हैं और उनमें क्षेत्रीय भिन्नताएँ हो सकती हैं।
प्रश्न 14: रंगराजन समिति द्वारा परिभाषित गरीबी रेखाएँ पिछली समितियों द्वारा परिभाषित रेखाओं से किस प्रकार भिन्न हैं? क) वे पूरी तरह से घरेलू आय पर आधारित हैं। बी) वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान हैं। C) वे न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। D) वे क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं।	उत्तर: C) वे न्यूनतम पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। स्पष्टीकरण: पिछली समितियों के विपरीत, रंगराजन समिति की गरीबी रेखा न्यूनतम पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिक कारक मानती है। इसलिए, विकल्प C सही है। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि गरीबी रेखाएं केवल घरेलू आय पर आधारित नहीं हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान नहीं हैं, और क्षेत्रीय विविधताओं पर विचार करती हैं।
प्रश्न 15: तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?	उत्तर: A) गरीबी रेखा पूरी तरह से घरेलू आय के आधार पर निर्धारित की जाती है।

<p>ए) गरीबी रेखा का निर्धारण पूरी तरह से घरेलू आय के आधार पर किया जाता है। बी) गरीबी रेखाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान हैं सी) गरीबी रेखा मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच पर आधारित है। डी) बिना किसी क्षेत्रीय विविधता के संपूर्ण भारतीय आबादी के लिए गरीबी रेखा की सिफारिश की गई थी।</p>	<p>व्याख्या: तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखाएँ मुख्य रूप से घरेलू आय पर आधारित हैं, न कि बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच जैसे अन्य कारकों पर विचार करने पर। इसलिए, विकल्प A सही है। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि गरीबी रेखाएँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान नहीं हैं, मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच पर आधारित नहीं हैं, और उनमें क्षेत्रीय भिन्नताएँ हो सकती हैं।</p>
<p>प्रश्न 16 : तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार गरीबी रेखा के निर्धारण में कौन से कारक योगदान करते हैं? क) केवल घरेलू आय और व्यय। बी) बुनियादी सुविधाओं और न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं तक पहुँच। सी) जीवन-यापन की लागत और रोजगार की स्थिति। घ) शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास।</p>	<p>उत्तर: A) केवल घरेलू आय और व्यय। व्याख्या: तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखाएँ मुख्य रूप से घरेलू आय और व्यय के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसमें बुनियादी सुविधाओं या न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं तक पहुँच जैसे अन्य कारकों पर विचार नहीं किया जाता है। इसलिए, विकल्प A सही है। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि वे तेंदुलकर समिति द्वारा विचार किए गए कारकों का सटीक वर्णन नहीं करते हैं।</p>
<p>प्रश्न 17: भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए तेंदुलकर समिति की स्थापना कब की गई थी? ए) 2005 बी) 2010 सी) 2013 डी) 2017</p>	<p>उत्तर: बी) 2010 स्पष्टीकरण: गरीबी का आकलन करने और गरीबी रेखाओं को अद्यतन करने की पद्धति पर पुनर्विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2010 में तेंदुलकर समिति की स्थापना की गई थी।</p>
<p>प्रश्न 18: तेंदुलकर समिति के गठन के लिए कौन सा मंत्रालय या विभाग जिम्मेदार था? ए) वित्त मंत्रालय बी) ग्रामीण विकास मंत्रालय सी) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय D) नीति आयोग</p>	<p>उत्तर: C) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्पष्टीकरण: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत में गरीबी रेखा के आकलन की पद्धति की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए तेंदुलकर समिति के गठन के लिए जिम्मेदार था।</p>
<p>प्रश्न 19: लकड़ावाला समिति क्या है? a) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया बी) भारत में गरीबी आकलन के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति की स्थापना की गई ग) एक समिति को भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने का काम सौंपा गया d) भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए नियुक्त एक समिति</p>	<p>उत्तर: बी) भारत में गरीबी आकलन के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति की स्थापना की गई व्याख्या: लकड़ावाला समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर गरीबों के अनुपात और संख्या के आकलन पर विशेषज्ञ समूह के रूप में जाना जाता है, का गठन भारत सरकार द्वारा 1993 में किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में गरीबी आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा और संशोधन करना था। इसलिए, विकल्प b) सही है। विकल्प विश्लेषण: a) गलत। लकड़ावाला समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं किया गया था। ऐसे उद्देश्यों के लिए अन्य समितियाँ और आयोग भी रहे हैं, जैसे कि जानकीरमन समिति। c) गलत। यद्यपि कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव महत्वपूर्ण हैं, लकड़ावाला समिति ने विशेष रूप से गरीबी आकलन पर ध्यान केंद्रित किया, न कि जलवायु परिवर्तन पर। d) गलत। समिति की नियुक्ति ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन करने के लिए नहीं, बल्कि गरीबी आकलन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई थी। ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली अन्य समितियाँ और आयोग भी रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग)।</p>
<p>प्रश्न 20 : लकड़ावाला समिति ने गरीबी आकलन के लिए कौन सी पद्धति की सिफारिश की थी? क) आय-आधारित ख) उपभोग आधारित ग) परिसंपत्ति आधारित घ) व्यय-आधारित</p>	<p>उत्तर: d) व्यय-आधारित व्याख्या: लकड़ावाला समिति ने गरीबी का अनुमान लगाने के लिए व्यय-आधारित पद्धति की सिफारिश की, जिसमें गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए उपभोग व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया। विकल्प ए) गलत है क्योंकि समिति की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से आय-आधारित नहीं थी। विकल्प बी) गलत है क्योंकि उपभोग शामिल है, समिति ने विशेष रूप से व्यय-आधारित दृष्टिकोण की सिफारिश की है।</p>

	विकल्प सी) गलत है क्योंकि परिसंपत्ति-आधारित कार्यप्रणाली लकड़ावाला समिति का फोकस नहीं थी।
<p>प्रश्न 21: लकड़ावाला समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?</p> <p>ए) 1980 बी) 1993 ग) 2005 घ) 2010</p>	<p>उत्तर: बी) 1993</p> <p>स्पष्टीकरण: भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1993 में लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था।</p> <p>विकल्प a) गलत है क्योंकि समिति का गठन 1993 में हुआ था, 1980 में नहीं।</p> <p>विकल्प c) गलत है क्योंकि 2005 लकड़ावाला समिति के पहले से ही कार्यरत होने के बाद का वर्ष है।</p> <p>विकल्प d) गलत है क्योंकि 2010 भी लकड़ावाला समिति के गठन के बाद का वर्ष है।</p>
<p>प्रश्न 2 : लकड़ावाला समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था?</p> <p>क) बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जांच करना ख) भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करें ग) गरीबी आकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संशोधन करना घ) ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन करना</p>	<p>उत्तर:सी) गरीबी आकलन की पद्धति की समीक्षा और संशोधन करें</p> <p>स्पष्टीकरण: लकड़ावाला समिति का प्राथमिक उद्देश्य भारत में गरीबी आकलन की पद्धति की समीक्षा और संशोधन करना था। इसलिए, विकल्प c) सही है।</p> <p>विकल्प विश्लेषण:</p> <p>ए) गलत. लकड़ावाला समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं किया गया था।</p> <p>ख) गलत. जबकि कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव महत्वपूर्ण हैं, लकड़ावाला समिति ने गरीबी के आकलन पर ध्यान केंद्रित किया, न कि जलवायु परिवर्तन पर।</p> <p>घ) गलत। लकड़ावाला समिति की नियुक्ति ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन करने के लिए नहीं बल्कि गरीबी आकलन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए की गई थी।</p>
<p>प्रश्न 23 : खसरे के टीकाकरण के लिए आमतौर पर किस प्रकार के टीके का उपयोग किया जाता है?</p> <p>क) मौखिक टीका बी) निष्क्रिय टीका ग) सबयूनिट वैक्सीन घ) जीवित क्षीण टीका</p>	<p>उत्तर: डी) जीवित क्षीण टीका</p> <p>स्पष्टीकरण : खसरे का टीकाकरण आमतौर पर एक जीवित क्षीण टीके का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें कमजोर खसरे का वायरस होता है जो बीमारी पैदा किए बिना प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है।</p> <p>विकल्प ए) गलत है क्योंकि मौखिक खसरे का कोई टीका उपलब्ध नहीं है; इसे आम तौर पर इंजेक्शन के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।</p> <p>विकल्प बी) गलत है क्योंकि निष्क्रिय टीकों में मारे गए रोगजनक होते हैं, जीवित क्षीण टीकों की तरह कमजोर नहीं।</p> <p>विकल्प सी) गलत है क्योंकि सबयूनिट टीकों में रोगजनक के केवल विशिष्ट एंटीजन होते हैं, संपूर्ण कमजोर वायरस नहीं।</p>
<p>प्रश्न 24: अधिकांश देशों में खसरे के टीकाकरण का सामान्य कार्यक्रम क्या है?</p> <p>a) जन्म के समय और 2 महीने बी) 6 सप्ताह और 10 सप्ताह पर ग) 9 महीने और 15 महीने पर घ) 12 महीने और 18 महीने पर</p>	<p>उत्तर: c) 9 महीने और 15 महीने पर</p> <p>स्पष्टीकरण : अधिकांश देशों में, पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खसरे का टीकाकरण लगभग 9 महीने की उम्र में पहली खुराक दी जाती है, उसके बाद 15 महीने की उम्र में दूसरी खुराक दी जाती है।</p> <p>विकल्प ए) गलत है क्योंकि खसरे का टीकाकरण आम तौर पर जन्म के समय नहीं दिया जाता है; मातृ एंटीबॉडी पहले कुछ महीनों के दौरान सुरक्षा प्रदान करती हैं।</p> <p>विकल्प बी) गलत है क्योंकि यह शेड्यूल खसरे के टीकाकरण के सामान्य समय के अनुरूप नहीं है।</p> <p>विकल्प डी) गलत है क्योंकि पहली खुराक को 12 महीने तक विलंबित करने से शिशु लंबे समय तक खसरे के प्रति संवेदनशील रहेंगे।</p>
<p>प्रश्न 25: होंगकुन साउथ झील कहाँ स्थित है ?</p> <p>ए) बीजिंग बी) शंघाई ग) अनहुई प्रांत d) गुआंगडोंग प्रांत</p>	<p>उत्तर: सी) अनहुई प्रांत</p> <p>स्पष्टीकरण: होंगकुन साउथ झील चीन के अनहुई प्रांत में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध चीनी प्राचीन गाँव है।</p>

	<p>विकल्प ए) गलत है क्योंकि बीजिंग चीन की राजधानी है न कि वह स्थान जहां होंगकुन साउथ लेक स्थित है।</p> <p>विकल्प बी) गलत है क्योंकि शंघाई चीन का एक प्रमुख शहर है, लेकिन यह वह जगह नहीं है जहां होंगकुन साउथ झील स्थित है।</p> <p>जो होंगकुन साउथ झील के स्थान से बहुत दूर है।</p>
<p>प्रश्न 26: पारंपरिक चीनी संस्कृति में होंगकुन साउथ झील का क्या महत्व है ?</p> <p>a) यह धार्मिक समारोहों के लिए एक पवित्र स्थल है</p> <p>बी) यह आसपास के गांवों के लिए पीने के पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है</p> <p>ग) यह मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है</p> <p>d) यह एक रणनीतिक सैन्य चौकी है</p>	<p>उत्तर: c) यह मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है</p> <p>स्पष्टीकरण: होंगकुन साउथ झील को अक्सर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण मनुष्यों और प्रकृति के बीच सद्भाव का प्रतीक माना जाता है।</p> <p>विकल्प ए) गलत है क्योंकि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि होंगकुन साउथ लेक धार्मिक समारोहों के लिए एक पवित्र स्थल है।</p> <p>होंगकुन साउथ झील का प्राथमिक महत्व नहीं है।</p> <p>विकल्प डी) गलत है क्योंकि होंगकुन साउथ लेक का रणनीतिक सैन्य चौकी होने का कोई इतिहास नहीं है।</p>
<p>प्रश्न 27: होंगकुन साउथ लेक की स्थापना का संबंध किस राजवंश से है ?</p> <p>ए) तांग राजवंश</p> <p>बी) सांग राजवंश</p> <p>ग) मिंग राजवंश</p> <p>घ) किंग राजवंश</p>	<p>उत्तर: सी) मिंग राजवंश</p> <p>स्पष्टीकरण: होंगकुन साउथ झील की स्थापना मिंग राजवंश के दौरान हुई थी, और इसकी अधिकांश वास्तुकला इसी काल की है।</p> <p>विकल्प ए) गलत है क्योंकि तांग राजवंश होंगकुन साउथ लेक की स्थापना से पहले का है।</p> <p>विकल्प बी) गलत है क्योंकि सोंग राजवंश भी होंगकुन साउथ लेक की स्थापना से पहले का है।</p> <p>विकल्प डी) गलत है क्योंकि किंग राजवंश मिंग राजवंश का उत्तराधिकारी बना, लेकिन यह होंगकुन साउथ लेक की स्थापना से जुड़ा नहीं था।</p>